39

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 260—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—12—2016 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 21/अपील/2015—16.

.....

जय गोपाल सिंह पुत्र श्री जागबली सिंह
निवासी ग्राम पड़री खूटाटोला तहसील
माड़ा जिला सिंगरौली म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1— जगजाहिर सिंह
2— पृथ्वीराज सिंह
3—गोपीनाथ सिंह
4— अरिमर्दन सिंह माता स्व0 निधुर कुमारी सिंह
पिता श्री कालिका सिंह
5—श्रीमती पंजाब सिंह माता स्व0 निधुर कुमारी सिंह
पत्नी हरीनारायण सिंह समस्त निवासीगण
ग्राम घोरौलीकला तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0
6—श्रीमती उर्वशी सिंह माता स्व0 निधुर कुमारी सिंह
पत्नी मोहर प्रताप सिंह निवासी ग्राम भरूहॉ
तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

———असल आवेदकगण

7—राम मनोहर सिंह
8—अशोक कुमार सिंह
9—प्रदीप कुमारसिंह पुत्रगण श्री जागबली सिंह
10—शंकर सिंह पुत्र श्री तेजबली सिंह
11—निरपतराज सिंह पुत्र श्री मार्तण्ड सिंह
12—हरिनारायण सिंह पुत्र श्री तेजबली सिंह
13—इन्द्र कुमार सिंह तनय श्री तेजबली सिंह
14—रमाकांत सिंह पुत्र श्री मनराखन सिंह

15–लहरी सिंह पुत्र श्री मनराखन सिंह
16–जमुना सिंह पुत्र श्री मनराखन सिंह
17–उदयराज सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
18–गिरिराज सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
19–सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
20–शुभम कुमार पुत्र श्री जय गोपाल सिंह
21–देवमूरत सिंह पुत्र श्री जय गोपाल सिंह
अनावेदक क0 20 व 21 नाबालिग सरपरस्ती
पिता श्री जय गोपाल सिंह पिता जागबली सिंह
निवासी ग्राम पड़री खूटाटोला तहसील
माड़ा जिला सिंगरौली म0प्र0

———तरतीबी प्रत्यर्थीगण

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली जिला सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील माड़ा जिला सिंगरौली द्वारा आवेदक के पक्ष में निधुर कुमारी के हिस्से एवं पटटे की भूमियां आवेदक के नाम नामांतरण करने का आदेश पारित किया गया। जिससे दुखित होकर जगजाहिर सिंह माता स्व0 निधुर सिंह पिता श्री कालका सिंह आदि अन्य –5 निवासी ग्राम घेरौली कला की ओर से उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके साथ धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.16 को परिसीमा

अधिनियम 1963 की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एवं अनावेदकगण एक ही खानदान के सदस्य है, संपूर्ण खाते की भूमियों के विषय में पक्षकारन के मध्य बटवारा प्रकरण चल रहा था जिसके विषय में जानकारी सभी पक्षकारों को थी । संपूर्ण खाते की भूमियों में से आवेदक की बहन निधुर कुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 29.11.94 को संपादित किया था, इस वसीयतनामा के आधार पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन किया। तहसीलंदार द्वारा दिनांक 21.11.12 द्वारा आवेदक के नाम नामांतरण आदेश पारित किया गया। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकगण कमांक 1 से 6 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के समक्ष लगभग 3 वर्ष पश्चात परिसीमा वर्जित अपील प्रस्तुत की गयी । अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें आदेश की जानकारी दिनांक 30.9.15 को पटवारी द्वारा हुई नकल प्राप्त होने पर स्वास्थ्य खराब होना भी व्यक्त किया गया। आवेदक द्वारा धारा 5 के आवेदन का विस्तृत जबाव प्रस्तुत किया गया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के जबाव पर सम्यक रूपेण विचार किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 27.12.16 द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर विलांब क्षमा किया गया। जबकि असल अनावेदक कमांक 1 से 6 तक नामांतरण आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया है कि विलंब माफी से किसी पक्षकार का अहित न हो एवं दूसरे पक्ष को अनुचित फायदा प्राप्त न हो। इतना असाधारण विलंब मांफ करने से आवेदक का अहित हुआ है एवं असल अनावेदकगण कमांक 1 से 6 को अनुचित फायदा हुआ है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया है कि विलंब जहां एक ओर अधिकार नष्ट करता है वहीं दूसरी ओर सारवान अधिकर अर्जित करता है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी

स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली का आदेश दिनांक 27.12.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा फर्जी एवं कूटरचित बसीयतनामा स्व0 निधुर कुमारी सिंह जो अनावेदक कमांक –1 की माता के नाम से तैयार कर विभाजन प्रकरण में नायब तहसीलदार तहसील सिंगरौली के न्यायालय में पता नहीं कब व कैसे प्रस्तुत किया था, जिसके प्रस्तुतीकरण का कोई भी उल्लेख आलोच्य प्रकरण में किसी भी पत्रावली में दर्ज नहीं है, उसके आधार पर तहसील माड़ा में प्रकरण का हस्तान्तरण होने के बाद दिनांक 13.9.12 के पश्चात मात्र 5 तारीख पेशियों की सुनवाई पशचात उत्तरवादी कमांक 1 जयगोपाल सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर फर्जी तरीके से कूटरचना के आधार पर तैयार कराये गये वसीयतनामे के आधार पर अनावेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियों का नामांतरण प्रमाणीकरण अपने नाम से करा लिया जिसके विषय में जानकारी होने पर समयावधि के भीतर उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 27.12.16 को स्वीकार की गई जो विधि प्रावधानों से उचित है। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर ध्यान दिये बिना ही अलोच्य आदेश पारित किरने में भारी विधि की भूल की है जिससे विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि तहसील न्यायालय माड़ा में आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति हेतु दिनांक 1.10.15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आलोच्य प्राप्ति हेतु दिनांक 3.10.15 को तैयार कर दिनांक 4.10.15 को अनावेदक कमांक–2 को दी गई। आलोच्य आदेश की प्रति प्राप्त होने के पश्चात अनावेदक कमांक–2 दिनांक 4.10.15 से बीमार हो गया जो दिनांक 10.10.15 को स्वस्थ होने के पश्चात अपील तैयार कराकर दिनांक 11.10.15 को सार्वजनिक अवकाश रविवार होने से तथा दिनांक 12.10.15 को पितृपक्ष का अवकाश होने के कारण दिनांक 13.10.15 को उपखण्ड अधिकारी सिंगरौलीर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। अनावेदक द्वारा अपील के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया था जो, उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली द्वारा स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक

की निगरानी निरस्त की जाकर उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली का आदेश दिनांक 27.12.16 स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निग़रानी मेमों में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर ही तर्क किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 29.11.94 को संपादित किया था, इस वसीयतनामां के आधार पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.11.12 द्वारा आवेदक के नाम नामांतरण आदेश पारित किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्क में यह बल मिलता है कि अनावेदकगण कमांक 1 से 6 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के समक्ष लगभग 3 वर्ष पश्चात परिसीमा वर्जित अपील प्रस्तुत की गयी । उपखण्उ अधिकारी सिंगरौली द्वारा इस प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया है कि विलंब मांफी से किसी पक्षकार का अहित न हो एवं दूसरे पक्ष को अनुचित फायदा प्राप्त न हो। इतना असाधारण विलंब मांफ करने से आवेदक का अहित हुआ है इस पर भी उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली द्वारा विचार नहीं किया गया है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–3 पुष्पा बाई विरूद्व संतोष कुमार में 10 वर्ष 8 माह 26 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–1 शार्ट नोट 55, 317 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2010 पार्ट–2, 108 म0 प्र0 शासन विरूद्व के0 एल0 आसरे में 1648 दिन की देरी को अपील में धारा–5 म्याद अधिनियम में यदि समुचित स्पष्ट व पर्याप्त कारण देरी के संबंध में नहीं बताये गये हैं तो ऐसे आवेदन को क्षमा किये जाने योग्य नहीं माना गया तथा म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है।** उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली द्वारा इस प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया है कि विलंब जहां एक ओर अधिकार नष्ट करता है वहीं दूसरी ओर सारवान अधिकार अर्जित करता है। अतः उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली का आदेश दिनांक 27.12.16 स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के प्रकरण कमांक 21/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27–12–16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर